भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

529
3-9-14

R. 3381-III/14

1. पदम नाथ पटेल तनय स्व0 वृन्दावन पटेल
2. भगवनिया देवी पत्नी स्व0 अमरजीत पटेल
3. कृष्ण कुमार पटेल तनय स्व0 श्री अमरजीत पटेल
4. समरजीत पटेल तनय स्व0 श्री वृन्दावन पटेल
5. समय लाल पटेल तनय स्व0 श्री वृन्दावन पटेल सभी निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0। ....निगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 03-9-14 प्रस्तुत किया गया।

बनाम

1. विसाहूलाल कुशवाहा तनय श्री राममिलन कुशवाहा
2. जगन्नाथ कुशवाहा तनय छोटेलाल कुशवाहा
3. मुन्नालाल कुशवाहा तनय श्री रामखेलावन कुशवाहा
4. फुलवसुआ कुशवाहा पत्नी श्री राम खेलावन कुशवाहा
5. राममणि कुशवाहा तनय श्री राम खेलावन कुशवाहा
6. लीलावती कुशवाहा पत्नी श्री यदुवंश कुशवाहा
7. सुकीत कुशवाहा तनय श्री यदुवंश कुशवाहा नाबालिक
8. विटीवा कुशवाहा पुत्री श्री यदुवंश कुशवाहा नाबालिक दोनो की संरक्षिका माता लीलावती कुशवाहा पत्नी श्री यदुवंश कुशवाहा
9. रामनिवास कुशवाहा तनय श्री छकौड़ी कुशवाहा
10. रामसुशील कुशवाहा तनय लोक नाथ कुशवाहा
11. गुड़िया कुशवाहा पुत्री श्री लोकनाथ कुशवाहा
12. माखनलाल कुशवाहा तनय वंशधारी कुशवाहा सभी निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0।

.......................अनावेदकगण

क्रमांक 3076 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ___ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 147/अ-6/2013-14 आदेश दिनांक 04/07/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

एवं साक्ष्य पश्चात दिनांक 13/08/2010 को आदेश पारित किया जाकर आवेदित भूमियों का मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र नामांतरण स्वीकृत किया गया उपरोक्त आदेश दिनांक 13/08/2010 के विरूद्ध चार वर्ष वाद दिनांक 01/07/2014 को केवल अनावेदक क्र.1,2,3,4 द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी उक्त अपील दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3381–तीन / 2014 जिला रीवा

पदमनाथ पटेल विरूद्ध विसाहू लाल कुशवाह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 147 / अ–6 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हुजूर के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 4–7–14 को अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर उत्तरवादीगणों को नोटिस जारी करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण आहूत करने का आदेश दिया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	